

भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 4425
गुरुवार, 2 अप्रैल, 2026/12 चैत्र, 1948 (शक)

तमिलनाडु में शिक्षित बेरोजगार युवा

4425. डा. कनिमोड़ी एनवीएन सोमू:

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने तमिलनाडु में शिक्षित बेरोजगार युवाओं का हाल ही में कोई आकलन किया है और यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) राष्ट्रीय औसत की तुलना में राज्य की नवीनतम बेरोजगारी दर का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) क्या सरकार ने युवा बेरोजगारी के सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का अध्ययन किया है और यदि हां, तो क्या राज्य के लिए कोई विशेष रोजगार पहल या क्षेत्र-विशिष्ट उपाय प्रस्तावित हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ग): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2023-24 में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) देश में 3.2% और तमिलनाडु राज्य में 3.5% थी। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य में 15-29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2017-18 में 25.6% से घटकर वर्ष 2023-24 में 15.3% हो गई है।

इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु राज्य में वर्ष 2017-18 और वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तरों के 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) निम्नानुसार है:

बेरोजगारी दर (% में)		
सामान्य शैक्षिक स्तर	2017-18	2023-24
साक्षर और प्राथमिक शिक्षा तक	1.0	0
पूर्व-माध्यमिक	4.4	1.1
माध्यमिक	6.6	2.4
उच्चतर माध्यमिक	10.6	2.9
स्नातक	25.8	14.1
माध्यमिक और उससे अधिक	15.4	7.3

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपर्युक्त आंकड़ों से पता चलता है कि तमिलनाडु राज्य में पिछले कुछ वर्षों में विभिन्न सामान्य शिक्षा स्तरों के लिए भी बेरोजगारी दर में कमी आई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर (तमिलनाडु सहित) में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) तथा शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुनः कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगारपरकता के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना नामक रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यान्वित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।
